

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय**  
**National Institute of Technology Meghalaya**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2019 को आयोजित द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त  
Minutes of Second Meeting of Official Language Implementation Committee held on 27.06.2019

राष्ट्रीय रेशम प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक संस्थान के सभा कक्ष में दिनांक 27 जून, 2019 को 4:00 बजे अपराह्न में बिजनी कॉम्पलेक्स, शिलांग में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई:

1	प्रो. गयाधर पांडा, डीन(सं.क.), निदेशक प्रभारी	अध्यक्ष
2	डॉ. सी. मार्वॉग, एशोसियट प्रोफेसर, सी.ई., कुल सचिव प्रभारी	सदस्य
3	श्री बी. ब्लाहवार, सहायक रजिस्ट्रार, (स्था.)	सदस्य
4	डॉ. पी.के. राथोड, सहायक प्रोफेसर, ई.सी.	सदस्य
5	डॉ. ए.पी. सिंह, सहायक प्रोफेसर, सी.एस.	सदस्य
6	सुश्री शम्पा पुरकायस्थ, नि.स.	सदस्य
7	डॉ. दिप्तेन्दु एस.राय, एशोसियट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष, सी.एस.	आमंत्रित
8	सुश्री मेदारिशा एच. थैंग्यू., तकनीकी सहायक, सी.एस.	आमंत्रित
9	श्री शंकर कुंवर, सलाहकार हिन्दी	आमंत्रित
9	श्रीमती अम्बिका राई, सहायक रजिस्ट्रार (शै.मा.)	सदस्य संयोजक

संस्थान के निदेशक एवं राभाकास के अध्यक्ष दौरे पर थे एवं श्री बी. चौधुरी, कुल सचिव के अवकाश पर रहने के कारण वे बैठक में भाग नहीं ले सके।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक में सभी सदस्यों एवं आमंत्रितों का स्वागत किया एवं समिति की सदस्य संयोजक श्रीमती अम्बिका राई, सहायक रजिस्ट्रार (शै.मा.) को विचार विमर्श के लिए बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

**मद सं. 1. :राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.01.2019 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि:**

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 22.01.2019 सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त समिति के सदस्यों के बीच उनकी टिप्पणी / अवलोकन के लिए परिचालित की गई। इस संबंध में किसी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

**सं.1/राभाकास-II/19:** समिति के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त को संपुष्टि करने का संकल्प लिया।



**मद सं. 2. : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट:**

समिति के समक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं सूचित किया गया कि कार्यान्वयन की कार्रवाई निरंतर जारी रहने की प्रकृति की है अतएव अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है एवं इस संबंध में कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति से समिति के समक्ष पुनः 27 अगस्त 2019 को होने वाली राभाकास की आगामी बैठक में अवगत कराया जाएगा।

**सं.2/राभाकास-II/19:** समिति के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक के कृत कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा कर नोट किया गया एवं निम्नलिखित संकल्पों की संस्तुति की गई ताकि आगामी कार्रवाई यथासमय संपन्न हो सके।

क) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण दस्तावेजों को द्विभाषी में जारी करने के लिए सभी को सूचित करना।

ख) क, ख, एवं ग क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को पत्राचार 55% तक द्विभाषी करने के संबंध सभी को सूचित करना एवं प्रगति हेतु अनुवर्ती कार्रवाई।

ग) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जवाब हिन्दी में देने के संबंध में अधिसूचना जारी करना।

घ) हिन्दी पुस्तकों की खरीदी – प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विभागों को अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोश वितरित करना। इनका DVD भी प्राप्त कर सभी कम्प्यूटरों में डालना जैसी कार्रवाई आगामी तिमाही में संपन्न करना।

ड.) राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु स्थापित करना।

च) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजन किया जाना।

छ) संस्थान के कार्यकलाप एवं संगठनात्मक रूपरेखा पर मैनुअल आदि को द्विभाषी बनाना इसके लिए डॉ. ए.पी. सिंह, सहायक प्रोफेसर, सी.एस. से यथाचित सहयोग लेना।

ज) संस्थान का राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट यथासमय भेजना।

झ) संस्थान के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी कार्य के लिए देवनागरी फॉन्टस / सॉफ्टवेयर डालना एवं जहाँ आवश्यक हो प्रशिक्षण/कार्यशाला कम्प्यूटर केन्द्र के सहयोग से सभी अनुभागों / विभागों / केन्द्रों को प्रदान करना। संस्थान का वेबसाइट द्विभाषी अर्थात् हिन्दी में भी बनाया जा रहा है, इस संबंध में प्रगति संस्थान के कम्प्यूटर केन्द्र के द्वारा कार्य प्रगति में तेजी लाया जाए।

ञ) सभी रबर के मोहर/फ्लेक्स बैनर/नाम पट्ट को द्विभाषी बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी करना।

यह निर्णय लिया गया कि प्रगति समीक्षा राभाकास की आगामी बैठक में की जाए।

**मद सं. 3. : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से जारी 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम:**

समिति के द्वारा राजभाषा विभाग से निर्धारित लक्ष्य तथा कार्यालय के द्वारा इसका अनुपालन किए जाने के संबंध में परिचर्चा की गई।

**सं.3/राभाकास-II/19:** यह निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 को सभी संबंधितों के बीच जानकारी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित की जाए।



मद सं. 4. : राजभाषा कार्यान्वयन के प्रमुख मद:

क) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार निर्दिष्ट कागजपत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी:

सं.4(क)/राभाकास-II/19: यह सूचित किया गया कि उक्त धारा के अंतर्गत आने वाले ऐसे 40 दस्तावेजों में से 27 को पिछले तिमाही में द्विभाषी किया गया है और भविष्य में सभी कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी करने का प्रयास किया जाएगा।

ख) मूल पत्राचार यथा लक्ष्यनुसार 55% हिन्दी में करना एवं हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना:

सं.4(ख)/राभाकास-II/19: यह अवगत कराया गया कि इस संबंध में पिछले तिमाही के दौरान 'क' क्षेत्र में 22% पत्रों को मूल रूप से हिन्दी में भी जारी किया गया है।

ग) तिमाही रिपोर्ट समय पर समेकित तैयार कर मंत्रालय, राजभाषा विभाग को ऑनलाईन तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेजना:

सं.4(ग)/राभाकास-II/19: मार्च 2019 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग को भेज दिया गया है एवं शीघ्र ही ऑनलाईन भी भेज दिया जाएगा।

घ) समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से हिन्दी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करना:

सं.4(घ)/राभाकास-II/19: समिति को यह सूचित किया गया कि संस्थान से 6 अधिकारी/कर्मचारी को जून-नवंबर, 2019 सत्र से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अंतर्गत नामित किया गया है।

ड.) प्रत्येक तिमाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन:

सं.4(ड.)/राभाकास-II/19: यह अवगत कराया गया कि हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया है एवं प्रत्येक तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक के दौरान राभाकास के सदस्यों के जानकारी के लिए " राजभाषा नीति की मुख्य बातें " विषय पर एक कार्यशाला सह अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मद सं. 4. : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय पर परिचर्चा:

किसी भी सदस्य के द्वारा कोई अन्य विषय नहीं रखा गया।

कोई अन्य विषय विमर्श के लिए न होने के कारण, धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त घोषित किया गया।

बिबिशा



**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय**  
**National Institute of Technology Meghalaya**

**राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2019 को आयोजित द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त**  
**Minutes of Second Meeting of Official Language Implementation Committee**  
**held on 27.06.2019**

The 2<sup>nd</sup> Meeting of the Official Language Implementation Committee of National Institute of Technology Meghalaya was held on 27<sup>th</sup> June 2018 at 4:00 P.M. in the Conference Room of the Institute at Bijni Complex, Shillong and the following members were present:

1	Prof. Gayadhar Panda, Dean (AA), Director (i/c)	Chairman
2	Dr. C. Marthong, Associate Professor, C.E, Registrar (i/c)	Member
3	Shri B. Blahwar, Assistant Registrar (Estt.)	Member
4	Dr. P.K. Rathore, Assistant Professor, EC	Member
5	Dr. A.P. Singh, Assistant Professor, CS	Member
6	Ms. S. Purkayastha, PA to the Director	Member
7	Dr. Diptendu S. Roy, Associate Professor, HOD, CS.	Invitee
8	Smt. Medarisha H. Thangkhiew, Technical Assistant, CS	Invitee
9	Shri. S. Kanwar, Hindi Consultant	Invitee
10	Smt. Ambika Rai, Assistant Registrar (AA)	Member Convener

While the Director of the Institute and Chairman of the OLIC was on official tour, Shri. B Choudhury, Registrar, was on leave and hence could not attend the meeting.

At the outset, the Chairman, Director (i/c), welcomed the members and the invitees to the second Meeting of Official Language Implementation Committee and requested Smt. Ambika Rai, A.R. (AA), Member Convener, to take up the agenda of the meeting for discussion.

**Item No. 1: Confirmation of Minutes of the First Meeting of the Official Language Implementation Committee of NIT Meghalaya held on 22.01.2019.**

The First Meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute was held on 22.01.2019 in the Conference Room. The minutes of the meeting were circulated amongst the members of the Committee for their comments/observations. However, no comments were received from any of the members.

**R1/OLIC-II/19: The Committee Resolved to Confirm the minutes of the First Meeting of the OLIC as circulated.**



**Item No. 2: Action Taken Report on the decision of the First Meeting of the OLIC.**

Actions taken on the decisions of the First Meeting of the OLIC were presented to the Committee and informed that since the implementation is of continuous nature; therefore, follow up action is under progress. The Committee will be apprised of up to date status of implementation in the next meeting of the OLIC scheduled to be held on 27.08.2019.

**R2/OLIC-I/19:** The Committee reviewed and noted the action taken report on the decisions of the First Meeting of the OLIC and recommended on the following resolutions so as to complete them on time.

- a) To issue Notification regarding compliance of Section 3(3) of Official Language Act 1963 for issue of specified documents in bilingual and follow up progress.
- b) Issue Orders regarding bilingual issue of 55% letters to A, B & C regions of Central Govt. Offices.
- c) Issue Orders regarding replies to the letters received in Hindi should invariably be issued in Hindi.
- d) Purchase of English-Hindi Dictionaries and providing to all the Sections/Departments as also DVD's are to be procured & loaded in the Computers within the next quarter.
- e) Setting up Check-Points to ensure implementation of Official Language Act, 1963 and Rules framed under its various provisions and compliance thereof.
- f) Conducting Hindi Workshop for the Officers and Officials.
- g) The Institute Manual of organizational setup and functioning to be made in bilingual expeditiously in coordination with Dr. A.P. Singh, Assistant Professor, CS.
- h) Timely furnishing Quarterly Report on progressive use of Hindi to MHRD and Department of Official Language.
- i) Devnagari fonts/software to be installed in all the computers of the Institute with the help of Computer Centre and conducting Training/workshop where necessary. Institute website is being bilingualized in Hindi also; progress to be expedited by Computer Centre of the Institute.
- j) All rubber stamps/flex banners/ name plates etc. are to be made in bilingual. It was decided that progress be reviewed in the next meeting of the OLIC.

**Item No. 3: Annual Programme 2019-20 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs:**

**R3/OLIC-II/19:** It was decided to circulate the Annual Programme 2019-20 to all the concerned for information and necessary follow-up action.



**Item No. 4: Important Agenda items for implementation of Official Language:**

a) The specified documents under Section 3(3) of the Official Language Act 1963 are to be issued invariably in Hindi and English. This is to be ensured by the officer signing such documents:

R4 (a)/OLIC-II/19: It was informed that 27 such documents out of 40 were issued in bilingual during the last quarter and all efforts will be made to issue these documents in Hindi and English in future.

b) As per the target, 55% of letters issued to Region A, B & C should be in bilingual and letters received in Hindi should invariably be replied to in Hindi:

R4 (b)/OLIC-II/19: It was apprised that during the last quarter 22% of the letters meant for 'A' Region were issued in Hindi also and in future efforts shall be made to increase the quantum of percentage and also ensure sending bilingual letters in other specified regions.

c) Timely compilation and preparation of Quarterly Report and furnishing to Ministry, online submission to Department of Official Language and Town Official Language Implementation committee:

R4 (c)/OLIC-II/19: The committee was informed that Quarterly Progress Report pertaining to Hindi implementation ending March, 2019 have since already been sent to the MHRD and Department of Official Language, Guwahati, the same will also be furnished online soon.

d) Officers and officials are to be imparted Hindi language training through Hindi Teaching Scheme:

R4 (d)/OLIC-II/19: It was reported that 6 Officials of the Institute have been nominated under Hindi Teaching Scheme to undergo Hindi Training for the June-November, 2019 Session.

e) Organizing workshops in every quarter for the officers and officials:

R4 (e)/OLIC-II/19: The committee was informed that workshop has been organized and in future also it will be ensured in every quarter.

An orientation cum workshop programme was organized during the course of meeting on the topic entitled "Official Language Policy - Important Instructions" for appraisal of the members of OLIC present in the meeting.

**Item No. 4:** Any other item for discussion with the permission of Chair.

No items were proposed for discussion from any of the members.

As there were no other matters to discuss, the meeting concluded with thanks to and from the chair.

